2017/00003.

30

Reader-1 26

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 49/2017

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री गौतम पिता धारिया जाति भील निवासी डांगपाड़ा (बड़गांव) तहसील व, जिला बांसवाडा(राज)	बनाम	1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा। 2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा। 3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित : 1– श्री गौतम पिता धारिया, प्रार्थी स्वयं

2– श्री योगेश सोमपुरा, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :– 27-12-2017

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत बड़गांव में स्थित रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1325/946/705 रकबा 4 बिस्वा अर्थात 324 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त की गई है। अवाप्त शुदा भूमि पर सड़क निर्माण भी हो चुका है। अवाप्त शुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति मकान की मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी के नाम से ग्राम बड़गांव के खसरा नम्बर 964/705 में से 0.191 हैक्टर भूमि अवाप्त की जाकर कृषि भूमि की डीएलसी दर से अवार्ड पारित हुआ है। उक्त खसरा नम्बर में से ही 4 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 23–04–2002 को रूपान्तरित करवाई गई है। पूर्व में भी डीएलसी दर से मुआवजा दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ ( )वाचक/2016/516 दिनांक 28–10–2016 से भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी,

भगवती प्रसाद

बांसवाड़ा द्वारा रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/रा.रा./2017/ 971 दिनांक 09–05–2017 प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3–क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisation, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चुंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्रांक 971 दिनांक 09–05–2017 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी गौतम के नाम ग्राम बड़गांव में स्थित खसरा नम्बर 964/705 में से 0.191 हैक्टर कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति का गजट प्रकाशन होकर अवार्ड पारित हुआ है। जबकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर 964/705 में से 0.159 हैक्टर कृषि भूमि एवं इसमें से प्रार्थी एवं अन्य की रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1325/964 में से 0.032 हैक्टर मौके पर अवाप्त हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 964/705 में से 0.191 हैक्टर भूमि का गजट प्रकाशन होकर अवार्ड पारित हुआ है। उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि की मुआवजा राशि बैंक ऑफ बड़ौदा का चैक 521597 राशि 202969/– रू0 का भुगतान किया जा चुका है। खसरा नम्बर 1325/964 में से 0.32 हैक्टर मुताबिक अवार्ड रूपान्तरित आबादी भूमि का कृषि भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि रूपया 40847/– का चैक जारी किया गया, जो प्रार्थी ने लेने से इंकार किया। प्रार्थी ने आबादी की डीएलसी दर से भुगतान करने हेतु निवेदन किया। बड़गांव के मूल खसरा नम्बर 964/705 में से 0.191 हैक्टर श्री सरकार भूमि का गजट प्रकाशन होकर अवार्ड पारित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तशुदा भूमि आराजी नम्बर 964/725 में से रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 1325/964 के राजस्व नक्शे में सर्वे एवं गजट प्रकाशन के समय तरमीम अस्पष्ट होने से मौके की जांच कर प्रार्थी मौके पर काबिज होकर मकान बने होने से नक्शे में स्पष्ट तरमीम की जा चुकी है, मौके पर उक्त खसरा नम्बर 0.32 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हुई है। प्रार्थी ने इस भूमि का चैक लेने से इंकार किया। कार्यालय विहित प्राधिकारी तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा जारी सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 596–600 दिनांक 23–04–2002 द्वारा श्री गौतम, बदा पिता धारिया, धनुड़ी बेवा धारिया निवासी बड़गांव के खसरा नम्बर 964/705 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से 0.04 बीघा अर्थात 324 वर्गमीटर भूमि कृषि से आवासीय आबादी में रूपान्तरण किया गया। बदा पिता धारिया ने जरिये दस्तावेज हक त्याग अपना हिस्सा अपने भाई गौतम पिता धारिया के पक्ष में दिनांक 11–04–2007 को पंजीकृत विलेख तहरीर किया है। परिसम्पत्ति मकान की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। अवाप्तशुदा भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं होकर पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है। उक्त सड़क विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से (R & R) का निर्धारण पृथक से नियुक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है। अवाप्तशुदा भूमि के अवार्ड के समय वर्ष 2010–11 की डीएलसी में 15% + 10 % जोड़ कर की गई गणना से मुआवजा राशि 512123/–रू0 बनती है, पूर्व में आबादी शुदा भूमि पेटे 40547/–का अवार्ड पारित हुआ है। अतः शेष राशि श्री गौतम पिता धारिया भील निवासी डांगपाड़ा (बड़गांव) 471276/– रू. नियमानुसार मुआवजा दिया जाना उचित होने का उल्लेख किया है।

दिनांक 27–12–2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3–जी (7)(ए) के तहत् अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आबादी में से अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड भी कृषि भूमि मुताबिक गलत पारित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के एलाईमेंट अनुसार अवाप्त होने से नियमानुसार मुआवजा दिया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना कर प्रार्थीया के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार पर प्रार्थीया को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
भजिला कलक्टर
जिला बांसवाड़ा
बांसवाड़ा